

मध्य प्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

कमोंक 5-2 /134 /2016 /1 /9  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 5 / 2 /2016

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन  
शासन के समस्त विभाग,  
महानिदेशक,  
आर.सी.वी.पी. नरोन्डा प्रशासन अकादमी, ग.प्र. भोपाल  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त कलेक्टर,  
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत  
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ म.प्र. वित्त सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के चैनल का निर्धारण।

-0-

मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारी राज्य के अन्दर विभागों एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ होने पर, जिस प्रकार उनका गोपनीय प्रतिवेदन लिखने का चैनल तैयार किया गया है। उसी चैनल अनुसार राज्य के बाहर पदस्थ मध्यप्रदेश वित्त सेवा के अधिकारियों के गोपनीय प्रतिवेदन लिखे जावे। प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकारी का मतांकन जहां पदस्थ है उस विभाग के अधिकारी द्वारा होगा। स्वीकारकर्ता अधिकारी आयुक्त, कोष एवं लेखा तथा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव वित्त होंगे।

चिन्तु प्रतिनियुक्ति पर प्रदेश या प्रदेश के बाहर अन्य राज्य में माननीय मंत्रीजी या मंत्री दर्जा प्राप्त अध्यक्ष की निजी स्थापना में पदस्थ किसी अधिकारी/कर्मचारी ने 4 माह या उससे अधिक अवधि तक कार्य किया है तो गोपनीय प्रतिवेदन मा.मंत्रीजी/अध्यक्ष महोदय और उनके के निज सहायक/निज सचिव/विशेष सहायक के द्वारा लिखे जावेगे। चैनल में कोई वरिष्ठ अधिकारी नहीं है तो सीधे मा.मंत्री/अध्यक्ष द्वारा लिखे जावे। निजी स्थापना में पदस्थ अधिकारी एवं मा. मंत्री/अध्यक्ष का मतांकन, अंतिम माना जावे। गोपनीय प्रतिवेदन पर किसी विभाग के अधिकारी का मतांकन नहीं होगा।

यदि गोपनीय प्रतिवेदन लिखने के पूर्व ही कोई जनप्रतिनिधि अपने पद पर नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में पिछले तीन वर्ष की गोपनीय चरित्रावली के आधार पर औसत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की उस वर्ष की गोपनीय चरित्रावली विभाग के सचिव द्वारा लिखी जावेगी।

(-एम.के. वाष्णीय -)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

